12/3/22

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वकील वादी एवं पेशकार सा० उप०। पेशकार सा० को वाद स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है तथा उन्होंने वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किये जाने की सहमति दी। हल्का पटवारी से भी इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई, जिसने भी अपनी रिपोर्ट में वादपत्र में अंकित तथ्यों का समर्थन किया है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, रिपोर्ट हल्का पटवारी [illegible] के पश्चात के दस्तावेज, विद्यालय रिकार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड मूल निवासी प्रमाण पत्र आदि से यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:24:03 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर हुक्म
	जाहिर होता है कि वादी के जो कथन किये है वह जायज है, ऐसी स्थिति मे वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से अंतिम रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर आज पत्रा. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:24:03 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 70/2021 तारीख दायरा 30.06.2021

उनवान

मोईनुद्दीन पुत्र अमीन बेग जाति मुसलमान निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। – प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :–

श्री सुशील कुमार शर्मा (वकील वादी) दिनांक :– 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकरण में वादीगण द्वारा एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी व अन्य ... के संयुक्त खाते व कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:24:03 IST
Reason: SelfAttested

उप-जिला कलक्टर
सांगोद (कोटा)

काश्त की आराजी माल ग्राम किशनपुरा, अमृतकुआ, पामलाखेडी तहसील सांगोद में स्थित है, जिसका विवरण निम्न है :–

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
किशनपुरा	नई 64	87	5.46 हैक्टर

कुल 1 किता की कुल 5.46 हैक्टर में 1/35 हिस्सा

अमृतखेडी	नई 23	299	0.41 हैक्टर
		302	0.16 हैक्टर
		309	0.01 हैक्टर
		325	0.15 हैक्टर

कुल 4 किता की कुल 0.73 हैक्टर में 1/60 हिस्सा

अमृतखेडी	नई 24	300	0.02 हैक्टर
		307	0.75 हैक्टर
		322	0.16 हैक्टर
		324	0.20 हैक्टर
		326	0.56 हैक्टर
		327	0.05 हैक्टर
		336	0.05 हैक्टर

कुल 7 किता की कुल 1.79 हैक्टर में 1/30 हिस्सा

पामलाखेडी	नई 20	404	0.32 हैक्टर
		405	0.33 हैक्टर

कुल 2 किता की कुल 0.65 हैक्टर में 1/60 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:24:03 IST
Reason: SelfAttested

उप-जिला कलक्टर
सांगोद (कोटा)

वाद पत्र में वर्णित आराजियात वादी के संयुक्त खाते की पुश्तैनी आराजी है तथा उक्त आराजी में निहित हिस्सा आराजी को वादी मौके पर आपसी सहमति से शांति पूर्वक काबिज काश्त करता चला आ रहा है तथा वादी ने अपने संयुक्त खाते की उक्त आराजियात के राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की तो वादी की जानकारी में आया कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में माल ग्राम किशनपुरा में मोहिनबेग व माल ग्राम अमृतखेडी में मोईनबेग तथा पामलाखेडी में मोईन मिर्जा लिखा हुआ है तथा वादी के पहचान के दस्तावेज, विद्यालय रिकार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, भामाशाह कार्ड, डाईविंग लाईसेंस आदि में मोईनुद्दीन नाम अंकित है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में नाम में त्रुटि होने के कारण वादी को अपने हिस्से की आराजी पर कृषि ऋण आदि प्राप्त करने में भी काफी परेशानी आती है।

वादी को राजस्व रिकार्ड में गलत नाम होने की जानकारी होने के बाद वादी द्वारा पटवारी हलका महोदय से उक्त गलत नाम को दुरस्त करने का निवेदन किया तो पटवारी हलका महोदय द्वारा मननीय न्यायालय से आदेश लाने की कहकर वादी का नाम दुरस्त करने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में वादी के लिए आवश्यक हो गया है, कि माननीय न्यायालय में घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती करवाना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के हक में व प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिकी सादिर पारित फरमायी जावे कि :–

माल ग्राम किशनपुरा पटवार हलका किशनपुरा तहसील सांगोद के खाता सं0 नई 64 के खसरा नं0 87 की 5.46 हैक्टर आराजी में दर्ज वादी के गलत नाम मोहिनबेग तथा माल ग्राम अमृतखेडी पटवार हलका कोटडी तहसील सांगोद के खाता सं0 23 के खसरा नं0 299, 302, 209, 210 कुल 4 किता की 0.73 हैक्टर व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:24:03 IST
Reason: SelfAttested

उप-जिला कलक्टर
सांगोद (कोटा)

खाता सं0 नई 24 के खसरा नं0 300, 307, 322, 324, 326, 327, 336 कुल 7 किता की कुल 1.79 हैक्टर में दर्ज वादी के गलत नाम मोईनबेग व माल ग्राम पामलाखेडी पटवार हलका कोटडी तहसील सांगोद के खाता सं0 नई 20 के खसरा नं0 404, 405 कुल 2 किता की कुल 0.65 हैक्टर आराजी में दर्ज वादी का गलत नाम मोईन मिर्जा के स्थान पर वास्तविक नाम मोईनुद्धीन की घोषणा की जावे तथा उक्त घोषणा के अनुकम में राजस्व रिकार्ड में गलत नाम के स्थान पर मोईनुद्धीन दर्ज किये जाकर इन्द्राज दुरस्त किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावे।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। उक्त पत्रावली दिनांक 12.3.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्यालय उपखण्ड न्यायालय सांगोद में रखी गई, प्रतिवादी ने उपस्थित होकर वाद पत्र को स्वीकार किया। हलका पटवारी से भी इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई जिसने भी अपनी रिपोर्ट में वाद पत्र में अंकित तथ्यों का समर्थन किया है व वादीगण की प्रार्थना को उचित बताया। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, रिपोर्ट हलका पटवारी तथा वादी के पहचान के दस्तावेज, विद्यालय रिकार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, भामाशाह कार्ड, डाईविंग लाईसेंस आदि से यह जाहिर होता है कि वादी ने अपने वाद पत्र में जो कथन किये हैं वे सत्य हैं। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से अंतिम रूप से स्वीकार कर डिकी किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम किशनपुरा पटवार हलका किशनपुरा तहसील सांगोद के खाता सं0 नई 64 के खसरा नं0 87 की 5.46 हैक्टर आराजी में दर्ज वादी के गलत नाम मोहिनबेग तथा माल ग्राम अमृतखेडी पटवार हलका कोटडी तहसील सांगोद के खाता सं0 23 के खसरा नं0 299, 302, 209, 325 कुल 4 किता की 0.73 हैक्टर व खाता सं0 नई 24

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:24:03 IST
Reason: SelfAttested

उप.जिला कलक्टर
सांगोद (कोटा)

खसरा नं0 300, 307, 322, 324, 326, 327, 336 कुल 7 किता की कुल 1.79 हैक्टर में वादी के गलत नाम मोईनबेग व माल ग्राम पामलाखेडी पटवार हलका कोटडी तहसील सांगोद के खाता सं0 नई 20 के खसरा नं0 404, 405 कुल 2 किता की कुल 0.65 हैक्टर आराजी में दर्ज वादी का गलत नाम मोईन मिर्जा के स्थान पर वास्तविक नाम मोईनुद्धीन दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आदेश की अनुपालना में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करे। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावे।

उप.जिला कलक्टर
(अंजना सहरावत)
सांगोद (कोटा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उप.जिला कलक्टर
(अंजना सहरावत)
सांगोद (कोटा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:24:03 IST
Reason: SelfAttested